9

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क-5)विभाग

सं0प0 9(26)कार्मिक/क-5/95 जयपुर, दिनांक 4.7.97

समस्त जिला कलेक्टर्स।

विषय:- राजस्थान सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जाति प्रमाण-पत्र दिये जाने हेतु अनुदेश।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 15-4-96 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए पुन: निम्न निर्देश जारी किये जाते है:-

1- राजकीय सेवाओं में कार्यरत ग्रुप-1 एवं ग्रुप-2 अधिकारियों पर लागू होने वाले अपवर्जन नियमों के प्रयोजनार्थ उक्त सन्दर्भित परिपत्र दिनांक 15-4-96 द्वारा मापदण्ड निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार के पुनरीक्षित वेतनमान, 1989 के वेतनमान संख्या 16(2200-4000) से 27 (5900-6700) हेतु प्रस्तावित पद ग्रुप-1 समकक्ष तथा वेतनमान संख्या 13(1640-2900) से 15(2000-3500) हेतु प्रस्तावित पद ग्रुप-2 के समकक्ष होने पर सम्बन्धित अधिकारी को अन्य पिछड़े वर्ग का जाति-प्रमाण-पत्र देय नहीं है।

2- राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सक्षम विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा राज्य सेवा में कार्यरत ऐसे अधिकारियों को भी जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे हैं जो उक्त निर्धारित मापदण्ड की परिधि में आते हैं नियमानुसार ऐसे जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जा सकते है।

3- अत: कृपया इस सम्बन्ध में आपके अधीनस्थ जाति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारियों को निर्देशित करें कि उक्त निर्धारित मापदण्ड के अन्तर्गत आने वाले राज्य सेवा में कार्यरत अधिकारियों द्वारा यदि अन्य पिछड़े वर्ग के होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे अभ्यार्थी को प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जावे। इस प्रकार के जारी प्रमाण-पत्र जाली प्रमाण-पत्र की श्रेणी में माने जावेंगे जिसकी सीधी जिम्मेदारी प्रमाण-पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकृत अधिकारी की होगी।

भवदीया,

~~43~~

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सचिव, राज्यपाल/मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर

2- विशिष्ट सहायक, मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री, राजस्थान, जयपुर

3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर

4- निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राज0 जयपुर

5- समस्त विभागाध्यक्ष (सिवाय जिलाधीशों के)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

2- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर

3- सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

4- निबन्धक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

5- निबन्धक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

उप शासन सचिव